

प्रारूप-1.8

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 4.950 हे० भूमि के बदले दुगुने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 9.900 हे० भूमि ग्राम.....जोशा.....

की खाता सं० 55, 56, 57 श्रेणी जोशा गौचर भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 5621, 5629, 6029, 31, 66, 68
7418, 7429,

राज्य सरकार की भूमि है। जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है, ग्राम.....जोशा..... की गौचर भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में सहमत हैं।

(श. महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
कानून अभियन्ता
प्रा.सं.सौ.नि.वि.०
पीथौरागढ़

(श. जगदीश शर्मा जोशी)
सहायक अधिवक्ता
वा.सं.सो.नि.वि.०
पीथौरागढ़ (पिथौरागढ़)

(श. ए.के. वर्मा)
अधिसूत्री अभियन्ता
प्रा.सं.सौ.नि.वि.०
पीथौरागढ़

(श. निरंजन)
राजस्य उप-निरीक्षक
क्षेत्र.सं.सं.तह.०. (नि.सं.५६०)
जिला- पिथौरागढ़

(श. जगदीश शर्मा)
वन क्षेत्राधिकारी
भुमरवारी

(श. जगदीश शर्मा)
उपनिरीक्षक
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

(श. निरंजन कुमार जोशी)
बिलाधिकारी
पिथौरागढ़

(श. निरंजन)
उपनिरीक्षक
मुनस्यारी